शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सम्भवतः, माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति की बैठक से है, जिसकी 7 नवम्बर, 1969 को चण्डीगढ़ में बैठक हुई थी। इस समिति ने, 1 और 2 फरवरी, 1968 को वाराणसी में हुए हिन्दी भाषी राज्यों के कुलपतियों के सम्मेलन की पिछली इस सिफारिश को दोहराया था कि मेडिसिन, इंजीनियरी और कृषि सहित सभी संकायों में अधिकतम जुलाई, 1973 तक हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(ख) चार वर्ष की अवधि इसलिये ध्यान में रखी गई है, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि उस समय तक प्रत्येक भाषा में सभी स्तरों पर हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। कुछ स्तरों तक पुस्तकें जुलाई 1970 और जुलाई 1971 तक तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे ह।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

DEMONSTRATION BY ALL INDIA STUDENTS FEDERATION AND ALL INDIA YOUTH FEDERATION

*543. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state:

(a) whether any demonstration was held on the 17th November, 1969 by the All India Students Federation and the All-India Youth Federation near Parliament House;

(b) whether any memorandum demanding unemployment compensation, a ban on retrenchment and automation, voting rights at 18 and distribution of arable fallow land among landless peasants was submitted to the Government; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (Dr. V. K. R. V. RAO): (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2341/69.]

COMMITTEE TO DEAL WITH APPOINTMENTS/COMPLAINTS IN LABORATORIES UNDER C.S.I.R.

*544. SHRI N. SHIVAPPA: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state:

(a) whether any Committee had been set up to deal with UPSC's appointments and complaints in Laboratories under the supervision of the Council of Scientific and Industrial Research;

(b) if so, the recommendations made by the Committee; and

(c) the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): (a) U.P.S.C. does not deal with appointments and complaints in the Laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research. Therefore, no committee has been set up to deal with them.

(b) and (c). Do not arise.

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद

***545. श्री रामसेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद के सम्बन्ध में त्रिवेदी आयोग के प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि उसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रतिवेदन को

कार्यान्वित करने में देरी होने के कारण उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र बलिया जिले के नरही गांव में तेरह व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार को पहले ही मालूम था कि बिहार सरकार, जहां राष्ट्रपति का शासन है तथा उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सीमा विवाद को बनाये रखना चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रश्न के बारे में केन्द्रीय सरकार कहां तक सक्रिय है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्री त्रिवेदी की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए मई, 1968 में संसद द्वारा बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया तदुपरांत नियत सीमा का निर्धारण, जैसा अधिनियम में कहा गया था, किया गया। राज्य सरकार ने, जिसे सीमा स्थम्बों को गाड़ना था, अधिकांश काम पूरा कर लिया था तथा भारत सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके सुझाव दिया था कि अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रों के हस्तान्तरण को 1 अक्तूबर, 1969 से कार्यरूप दिया जायेगा। किन्तु, तब तक अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में कुछ लेख्य याचिकायें दायर की गई। इन याचिकाओं की पटना उच्च-न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा 24 से 28 नवम्बर, 1969 तक सुनवाई की गई तथा 12 दिसम्बर, 1969 को उस उच्च-न्यायालय में सुनवाई पुनः आरम्भ होगी। अधिनियम के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए इन लेख्य याचिकाओं पर उच्च-न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार निःसंदेह गंगा नदी के बिहार की ओर स्थित एक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटी थी।

(ग) और (घ). श्री त्रिवेदी की सिफारिशें दोनों राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं और जैसा ऊपर बतलाया गया है, इन सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए कानून अधिनियमित किया गया था। जहां तक भारत सरकार को जानकारी है, दोनों राज्य सरकारें इस सीमा-विवाद को यथा-शीघ्र समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं।

DEMAND FOR CESSION OF KASHMIR FROM INDIAN UNION BY PLEBISCITE FRONT

*546. SHRI YAJNA DATT SHARMA :
SHRI BRIJ BHUSHAN LAL :
SHRI SURAJ BHAN :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :
SHRI SHARDA NAND :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Plebiscite Front has been working for the support of such demands as cession of Kashmir from the Indian Union;

(b) whether such acts are treated as criminal offences under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) to (c). The Plebiscite Front has been demanding the right of self-determination for the people of Jammu and Kashmir State. No action has been considered necessary so far against the organisation.

PROMOTION OF INTERNAL TOURISM

*547. SHRI J. M. BISWAS :
SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI VASUDEVAN NAIR :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that promotion of internal tourism has not been given proper attention by Government;